प्राचार्य पदोन्नति मामले की हाई कोर्ट में 14 जुलाई को होगी अहम सुनवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में प्राचार्य पदोन्नति से संबंधित मामले में हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में 14 जुलाई को अहम सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता नारायण प्रकाश तिवारी द्वारा दायर याचिका पर जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ सुनवाई करेगी। राज्य शासन की ओर से 7 जुलाई को शपथ पत्र सहित जवाब प्रस्तुत कर दिया गया है और इस दौरान अदालत को डिवीजन बेंच के हालिया फैसले की जानकारी दी जाएगी।

वर्षों से लंबित हैं 3,224 पदोन्नतियां

स्कूल शिक्षा विभाग में कुल 4690 स्वीकृत प्राचार्य पदों में से केवल 1430 पदों पर ही प्राचार्य कार्यरत हैं। बाकी 3224 पद वर्षों से खाली पड़े हैं। अंतिम बार आदिम जाति कल्याण विभाग (अब स्कूल शिक्षा में समाहित) में 2013 में और स्कूल शिक्षा विभाग में 2016 में प्राचार्य पदोन्नति हुई थी। तब से अब तक 10 वर्षों में कोई पदोन्नति नहीं हो सकी है। इसी देरी को लेकर प्रदेश के चार प्रमुख संगठनों ने प्राचार्य पदोन्नति फोरम का गठन किया था।

फाइल फोटो

14 जुलाई की सुनवाई होगी निर्णायक

अब 14 जुलाई को होने वाली सुनवाई में राज्य शासन की ओर से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले की प्रति सहित सभी तथ्य सिंगल बेंच के समक्ष रखे जाएंगे। संभावना जताई जा रही है कि डिवीजन बेंच के फैसले को ध्यान में रखते हुए सिंगल बेंच भी अपनी रोक हटाकर पदोन्नति प्रक्रिया को हरी झंडी दे सकती है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि लंबे समय से लंबित इस मुद्दे पर अब निर्णायक मोड़ आने वाला है। शिक्षक संगठनों और पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों में एक बार फिर उम्मीद जगी है कि अब उनके साथ न्याय होगा।

- सरकार ने सात जुलाई को पेश किया जवाब
- 3,224 पद वर्षों से खाली, 10 वर्षों से रुकी है पदोन्नति प्रक्रिया

डिवीजन बेंच ने शासन के पक्ष में सुनाया था फैसला

हाल ही में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्राचार्य पदोन्नति से संबंधित आधा दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दी थीं। बेंच ने अपने फैसले में राज्य शासन की ओर से लागू मापदंडों और नियमों को पूरी तरह उचित ठहराया। इस निर्णय के बाद सरकार को बड़ी राहत मिली थी। इसी मुद्दे से जुड़ी एक याचिका सिंगल बेंच में लंबित थी, जिसमें पहले अंतरिम आदेश जारी करते हुए पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा डिवीजन बेंच के आदेश की जानकारी अदालत को दी गई थी, पर शासन की ओर से यह पक्ष समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसी वजह से 8 जुलाई की सुनवाई आगे बढ़ गई थी।